

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ-भवन, भोपाल.


क्रमांक 227/2020/सी-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/09/2020

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- रविवार को लॉकडाउन समाप्त किए जाने विषयक।
संदर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक 214/2020/सी-2, दिनांक 31.07.2020

म0प्र0 शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक/218/2020/सी-2, भोपाल, दिनांक 06.08.2020 के द्वारा प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी किये गये थे।
उक्त आदेश एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



(डॉ. राजेश सख्खर)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

क्रमांक 228/2020/सी-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 01/09/2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जोनल अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ-भवन, भोपाल.

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01.09.2020


समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
अनलॉक-4 के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक
40-3/2020/डीएम-आई(ए), दिनांक 29.08.2020 के द्वारा अनलॉक-4 के संबंध में जारी
दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।


संलग्न-उपरोक्तानुसार


(डॉ. राजेंद्र सिंह राणा)
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 01.09.2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित कर अनुरोध है
कि कृपया अपने विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक
दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जोनल अति० पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग